URGENT

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(ग्रामीण विकास, अनुभाग–5)

क्रमांक एफ 27(41) ग्राविवि/ग्रुप–5/PMAY-G/M-I/प्रगति–1/2017–18 जयपुर, दिनांक 01/मई, 2018

मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
जिला परिषद् (ग्राविप्र),
समस्त, राजस्थान।

विषय :– प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण की स्थाई वरीयता सूची में अतिरिक्त पात्र लाभार्थियों की पहचान कर शामिल किये जाने के क्रम में।

प्रसंग :– विभागीय पत्र दिनांक 21.03.18 एवं 09.04.2018

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण के अंतर्गत निर्धारित पात्रता रखने वाले लाभार्थियों, जिनके नाम योजना की तैयार की गई अंतिम वरीयता सूची में शामिल नहीं है या किसी कारण हटा दिये गये है, के चयन किये जाने के संबंध में गतिविधिवार समयावधि निर्धारित की गई, जिसमें दिनांक 16.04.2018 तक वंचित पात्र व्यक्तियों से प्रार्थना पत्र प्राप्त कर दिनांक 16.04.2018 से 30.04.2018 तक विशेष ग्रामसभाऐं आयोजित करने के निर्देश दिये गये हैं।

उक्त संबंध में जिले में आयोजित ग्रामसभाओं में नये लाभार्थियों से प्राप्त अपील/प्रार्थना पत्रों की सूचना निम्न प्रारूप में ईमेल द्वारा EXCEL फाईल में उपलब्ध कराने का श्रम करावे :–

क. सं.	पंचायत समिति का नाम	ग्राम पंचायतों की संख्या	आयोजित ग्राम सभाओं की संख्या	अंतर	यदि अंतर है तो प्रस्तावित ग्रामसभाओं की दिनांक, ग्राम पंचायतवार संलग्न की जावे	ग्राम सभाओं में प्राप्त प्रार्थना पत्रों (पंचायत समितिवार संकलित) की संख्या				
						SC	ST	Min.	Others	Total
1	2	3	4	5 (3–4)	6	7	8	9	10	11

साथ ही ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा तैयार किये गये Aawas + App में अन्य जानकारी/जीओ टैगिंग आदि का कार्य भी प्रारम्भ कर निर्धारित दिनांक 05.06.2018 तक अंतिम प्रस्ताव भिजवाया जाना सुनिश्चित करे।

भवदीय,

(के.के.शर्मा) 01/05/18
अधीक्षण अभियंता, ग्रावि

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रावि एवं पंरावि।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रावि।
3. जिला कलक्टर समस्त राजस्थान।
4. परि. निदे. एवं पदेन उप सचिव (मो. एण्ड मू.) को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड बाबत्।

अधीक्षण अभियन्ता (ग्रावि)